

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, जयपुर

क्रमांक:एफ.1878 सीसी/स्वा.का.पु./2019/834

दिनांक : 12/7/19

आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला आदेश क्रमांक:एफ.20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 दिनांक 25.1.92, क्रमांक एफ.16(2)वित्त/नियम/98 दिनांक 17.2.98 एवं क्रमांक:एफ.20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 पार्ट- दिनांक 21.12.93 के निर्देशन में निम्न वर्णित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) उनके पदोन्नति पदों की वेतन श्रृंखलाएं कर्मचारियों के प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार भिन्न-भिन्न आदेशों से चयनित वेतन श्रृंखलाओं के रूप में स्वीकृत की गई थी। कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट दायर कर स्वयं का पद एकल पद मानते हुए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 दिनांक 25.1.92 के पैरा 5 में वर्णित अनुसार चयनित वेतन श्रृंखला चयनित वेतनमान के रूप में स्वीकृत करने हेतु निवेदन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर चयनित वेतन श्रृंखला आदेश के पैरा 5 के अनुरूप दिये जाने के निर्देश जारी किये हैं।

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) पद साधारण वेतन श्रृंखला का सीधी भर्ती का पद है, विभागीय प्रशिक्षण एवं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एमपीडब्ल्यू (मेल) पद पर नियुक्ति दे दिये जाने के कारण इन कर्मचारियों ने वित्त विभाग के आदेश दिनांक 25.1.92 के पैरा 5 एवं 17.02.98 के अनुरूप 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमशः 1200-2050/4000-6000, 1400-2600/5000-8000 एवं 1640-2900/ 5500-9000 की मांग की गई।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 19.02.19 के विरुद्ध आगे अपील दायर नहीं करने का निर्णय लिया जाकर आदेश की पालना करने के लिए निदेशालय द्वारा निम्न प्रकरण में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे गये।

क्र.सं.	याचिकाकर्ता	रिट सं.	निर्णय दि.
1	श्री लाखाराम चौधरी	5741/17	19.02.19

राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी संख्या 101902979 दिनांक 02.07.19 एवं प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 1143 दिनांक 03.07.19 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय की पालना के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप उपरोक्त रिट में वर्णित स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) जिन्हें नियुक्ति अधिकारी द्वारा एमपीडब्ल्यू (मेल) पद पर नियुक्तियां प्रदान की गई थी, को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को अतिक्रमित करते हुए न्यायालय के निर्णयानुसार वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसरण में याचिकाकर्ता

PTO

